महानिदेशक लेखापरीक्षा
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग
ए.जी.सी.आर.भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट,
नई दिल्ली–110002

DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
ENVIRONMENT & SCIENTIFIC DEPARTMENTS
A.G.C.R. BUILDING, I.P. ESTATE
NEW DELHI-110002

संजय कुमार झा
महानिदेशक, लेखापरीक्षा

डी.ओ. सं. डीजीए(ईएसडी)/निरीक्षण/1(147)/आरसीबी/वार्षिक खाते 2020–21/833 दिनांक 6/12/2021

प्रिय डा० व्रती,

मैंने वर्ष 2020–21 के लिए **क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र (आरसीबी), फरीदाबाद** के वार्षिक खातों की लेखापरीक्षा करने के उपरांत दिनांक 9.11.2021 के पत्र के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की है। लेखापरीक्षा के दौरान, कुछ कमियां दृष्टिगोचर हुई जो मामूली प्रकृति की थीं, अतः उन्हें लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किया गया है और जो अब अनुलग्नक पर संलग्न हैं। इन्हें सुधारात्मक एवं संशोधात्मक कार्रवाई हेतु आपके संज्ञान में लाया जा रहा है।

सादर,

भवदीय,

संजय कुमार झा

संलग्न : अनुलग्नक

डॉ. सुधांशु व्रती
कार्यपालक निदेशक
क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र (आरसीबी),
फरीदाबाद, हरियाणा

दूरभाष / Phone : +91-11-23403652, 23403650 फैक्स / Fax : +91-11-23702353

अनुलग्नक

क. अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय इत्यादि (1639.82 लाख रु.)

2020–21 के लिए आरसीबी छात्रावास से 6.24 लाख रु. के बिजली शुल्क की वसूली को बिजली शुल्क – आरसीबी शीर्ष के अंतर्गत अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय में खर्च के रूप में समयोजित किया गया, है जो कि 231.28 लाख रु. है, इसके परिणामस्वरूप प्रसासनिक व्यय व बिजली शुल्क वसूली को जो कि सरकार को प्रतिदाय है को इसी रकम से कम दर्शाया गया है

ख. अनुसूची 8 : अचल परिसंपत्तियां (5141.90 लाख रु.)

खातों के निर्धारित प्रारूप में प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार नहीं किया गया है क्योंकि खातों में प्राप्ति एवं भुगतान के शीर्ष आय–व्यय खाता तथा तुलन पत्रों की अनुसूची के शीर्षों के अनुरूप नहीं है। परिणामस्वरूप, इन शीर्षों को प्राप्ति एवं भुगतान खाता के दोनों ओर दर्शाया जा रहा है।

संजय कुमार झा

महानिदेशक लेखापरीक्षा
(पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग)

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
वैज्ञानिक विभाग
नई दिल्ली-110 002

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT,
SCIENTIFIC DEPARTMENTS,
A.G.C.R. BUILDING, I.P. ESTATE
NEW DELHI-110 002

सं.म.नि.वै.वि./नि./SAR/4(21)/2020-21/832 दिनांक: 6/12/2021

सेवा मे

डॉ. सुधांशु व्रती
कार्यपालक निदेशक
क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र
एन.सी.आर बायोटेक साइंस क्लस्टर
तृतीय मील पत्थर, फरीदाबाद-गुड़गांव एक्सप्रेसवे,
फरीदाबाद - 121 001

विषयः क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र के वर्ष 2020-21 के वार्षिक लेखों पर अंतिम पृथक ऑडिट रिपोर्ट।

महोदय,

कृप्या इस कार्यालय के पत्रांक सम संख्या 707-708 दिनांक 09.11.2021 का संदर्भ लें। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की हिन्दी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेषित की जा रही है।

भवदीया,

संलग्नकः यथोपरि।

निदेशक (निरीक्षण)
6/12/21

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र, फरीदाबाद के खातों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने आरसीबी अधिनियम, 2016 की धारा 32 (1) के साथ पठित लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के अधीन क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र (आरसीबी), फरीदाबाद के संलग्न 31 मार्च 2021 के तुलन पत्र तथा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय–व्यय खाता/प्राप्ति एवं भुगतान खातों की लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण आरसीबी प्रबंधन का दायित्व हैं। हमारा दायित्व हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रकट करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ लेखापद्धतियों, लेखा मानकों तथा प्रकटन मानदंडों आदि के अनुरूप वर्गीकरण से संबंधित लेखा व्यवहारों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां निहित हैं। वित्तीय लेनदेन पर कानून, नियम एवं विनियम (स्वामित्व एवं नियमितता) तथा कार्यकुशलता–सह–निष्पादन पहलु, इत्यादि के अनुपालन के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ, यदि कोई हों, तो इन्हें निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से अलग से सूचित किया जाता है।

3. हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा पूरी की है। इन मानकों के अंतर्गत अपेक्षा की जाती है कि हम वित्तीय विवरणों के सभी प्रकार की तथ्यजनक भ्रांतियों से मुक्त होने के बारे में कारणोचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु लेखापरीक्षा की योजना तैयार कर उसे निष्पादित करें। लेखापरीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में राशि एवं प्रकटन हेतु उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों की नमूना जांच आधार पर परीक्षण करना सम्मिलित होता है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण प्रस्तुतिकरणो के मूल्यांकन के साथ–साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल किया जाता है। हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा, प्रदत्त राय हेतु पर्याप्त आधार प्रदान करती है।

4. हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर सूचित करते हैं कि :

(i) हमने समस्त सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण, सिवाये उनके जो रिपोर्ट में उल्लिखित हैं, प्राप्त किए हैं जो हमारे विवेकानुसार इस लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे;

(ii) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलनपत्र, आय–व्यय खाता तथा प्राप्ति एवं भुगतान खातों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किया गया है;

(iii) हमारी राय में, इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित दस्तावेजों को छोड़कर, आरसीबी द्वारा बहीखातों तथा अन्य संबंधित अभिलेखों को ठीक प्रकार से बनाए रखने की उचित व्यवस्था की है।

(iv) हम यह भी सूचित करते हैं कि:

क. तुलनपत्र

क. 1. परिसंपत्तियां

क. 1.1 अचल परिसंपत्तियां (अनुसूची 8 – 51.42 करोड़ रु.)

वर्तमान वर्ष के दौरान कार्यालय उपकरणों की शेष राशि में एयरकंडीशिनंग प्रणाली के लिए 20.60 लाख रु. की शेष राशि तथा 5.89 लाख रु. की खरीद भी शामिल है। एयरकंडीशिनंग प्रणाली को फर्नीचर तथा फिक्सचर शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाना है। फलस्वरूप कार्यालय उपकरणों के अंतर्गत 1.32 लाख रु. का मूल्यह्रास अधिक दर्शाया गया।

क.1..2 अनुसूची 11 वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम (3678.95 लाख रु.)

उपरोक्त में 0.10 लाख रु. नकद/अग्रिम शामिल है जिसे प्राप्ति एवं भुगतान खाता में अंतःशेष नकदी में दर्शाया नहीं गया।

ख. आय एवं व्यय

ख. 1.1 अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय इत्यादि (1639.82 लाख रु.)

उपर्युक्त में पूर्वावधि से संबंधित 18.84 लाख रु. के व्यय को राजस्व व्यय के रूप में दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप, व्यय का अधिक दर्शाया जाना तथा पूर्वावधि व्यय में समान राशि का कम दर्शाया जाना दृष्टिगोचर हुआ है।

ख.1.2 अनुसूची 20 – स्थापना व्यय (1080.83 लाख रु.)

उपर्युक्त में मार्च के लिए 73.85 लाख रुपये का प्रदत्त वेतन, जो अप्रैल मे व्यय किए गए, सम्मिलित नहीं है। इसी प्रकार, अप्रैल 2020 में मार्च 2020 के लिए 70.44 लाख रु. के प्रदत्त वेतन को वर्तमान वर्ष के लिए खर्च के रूप में दर्शाया गया है। इस लेनदेन के परिणामस्वरूप, 3.41 लाख रु. का राजस्व व्यय तथा 70.44 लाख रु. के पूर्वावधि व्यय को कम दर्शाया गया है।

ख.1.3 विलंबित आय – अचल परिसंपत्तियां

2020–21 के लिए अनुसूची 8–अचल परिसंपत्तियां के अनुसार अचल परिसंपत्तियों पर 680.62 लाख रु. का मूल्यह्रास व्यय दर्शाया गया है तथापि, इसे विलंबित आय–अचल परिसंपत्ति आय में भी दर्शाया गया है। स्वायत्त निकायों के लिए खातों के मानक प्रारूप में ऐसे प्रावधानों को मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि प्रारूप में पूंजीगत दृष्टिकोण अपनाया जाता है।

ग.सामान्य

(i) तुलन पत्र में संचित/पूंजी निधि के पूर्व वर्ष के शेष में 225.54 लाख रु. (6281.96 लाख रु.) तथा अनुसूची I संचित/पूंजी निधि (6507.49 लाख रु.) का अंतर दृष्टिगोचर हुआ है क्योंकि अनुसूची 2 आरक्षिति तथा अधिशेष के शेष को अनुसूची I में भी दर्शाया गया है।

(ii) अनुसूची 8 : अचल परिसंपत्तियां (5141.90 लाख रु.)

खातों में शामिल अनुसूची 8 अचल परिसंपत्तियों के कॉलम अनुमोदित खाता प्रारूप के अनुरूप नहीं है। प्रयुक्त किए गए सभी कॉलम के नाम मूल्यह्रास के दो कॉलम तथा नेट ब्लॉक के एक कॉलम से भिन्न हैं, जिनका उपयोग नहीं किया गया है। अतः अनुसूची 8 अनुमोदित खाता प्रारूप के अनुरूप तैयार की जाए।

(iii) निम्नलिखित तीन शीर्ष स्थापना व्यय के स्थान पर प्रशासनिक व्यय के रूप में गलत वर्गीकृत किए गए हैं।

परिणामस्वरूप, स्थापना व्यय कम तथा प्रशासनिक व्यय 177.90 लाख रु. अधिक दर्शाया गया है।

अनुसूची 20 – स्थापना व्ययः

विद्यार्थियों को अध्यतावृति	: 17.39 लाख रु.
मजदूरी – आउटसोर्स जनशक्ति	: 160.18 लाख रु.
यात्रा व्यय	: 0.33 लाख रु.

(iv) आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 15 के उल्लंघन में सेवानिवृत्ति लाभों के लिए खातों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

घ. अनुदान

आरसीबी ने वर्ष 2020–21 के दौरान कुल 33 करोड़ रु. का अनुदान प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019–20 के लिए 1.19 करोड़ रु. का अव्ययित अनुदान आगे ले जाया गया है। वर्ष के दौरान 34.18 करोड़ रु. की राशि व्यय के लिए उपलब्ध थी। आरसीबी ने वर्ष के दौरान 31.78 करोड़ रु. खर्च किए थे जिसके फलस्वरूप 31 मार्च 2021 को 2.40 करोड़ रु. का अंतः शेष था।

v) पूर्ववर्ती परिच्छेद में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित हमें प्रस्तुत किए गए तुलनपत्र, आय–व्यय खाता और प्राप्ति एवं भुगतान खाता बहीखातों के अनुरूप हैं।

vi) हमारी राय और प्राप्त सूचना तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, खातों पर लेखा नीतियों एवं टिप्पणियों के साथ पठित उपरोक्त वित्तीय विवरण जो उक्त वर्णित उल्लेखनीय विषयों तथा इस लेखापरीक्षा के **अनुलग्नक** में उल्लिखित अन्य विषयों के अधीन हैं, के आधार पर भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप निम्नलिखित के लिए सत्य एवं उचित निरूपण प्रकट करते हैं:

(क) जहां तक 31 मार्च 2021 तक क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र, फरीदाबाद के क्रियाकलापों के तुलनपत्र का संबंध है, एवं

(ख) जहां तक उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय–व्यय खातों से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए और उनकी ओर से

दिनांक:
स्थान : नई दिल्ली

संजय कुमार झा

महानिदेशक लेखापरीक्षा
(पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग)

लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक – 1

आंतरिक लेखापरीक्षा/नियंत्रण प्रणाली

(क). आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र (आरसीबी) की आंतरिक लेखापरीक्षा मूल वेतन एवं लेखा कार्यालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा वार्षिक आधार पर की जानी अपेक्षित थी जिसे मार्च 2019 तक पूरा कर लिया गया था। आज तक कुल 4 टिप्पणियां (2010–14 की अवधि के लिए एक तथा 2017–19 की अवधि के लिए 3) लंबित थीं।

क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र (आरसीबी) की आंतरिक लेखापरीक्षा मार्च 2019 से लंबित है।

ख. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

ख.1 आरसीबी ने कार्यालयी प्रयोजनो के लिए आठ विभागीय अधिकारियों को 10000 रुपये से 50000 रुपये की रेंज में स्थायी अग्रदाय स्वीकृत किया है। देखा गया है कि अग्रदाय खातों से निधि का उपयोग बहुत कम किया गया है और सरकारी धनराशि को सरकार के खातों से अनावश्यक अलग रखा गया है।

ख.2 समरूप लेखा प्रारूप के अनुसार महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में विनिर्दिष्ट किया गया है कि वार्षिक खातों को लेखाशास्त्र की प्रोदभुद प्रणाली के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। तथापि, एक्स्ट्रामूलर निधि तथा अन्य परियोजना अनुदान से संबंधित आरसीबी फरीदाबाद के खाते वास्तविक/नकदी आधार पर तैयार किए गए हैं।

ख.3 आरसीबी के कर्मचारियों से संबंधित फार्म–16 तथा अन्य संबंधित दस्तावेज की जांच से विदित होता है कि केन्द्र ने संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना ही वर्ष 2020–21 के लिए कर में छूट प्रदान की थी जो आरसीबी में खराब आंतरिक नियंत्रण तंत्र का द्योतक है।

ख.4 केवल मुख्य कैशबुक ही इलेक्ट्रॉनिक रूप में तैयार की गई थी, जबकि सहायक कैशबुक भौतिक प्रारूप (जीएआर–3) में तैयार की गई थी।

ख.5 शेष उपयोगिता प्रमाण–पत्र के विवरण निम्नानुसार हैं: :

क्रम सं.	प्रोग्राम	वर्ष	बकाया यूसी की संख्या	अनुमानित राशि (रु. लाख में)
1.	डीबीटी जेआरएफ प्रोग्राम	2019–20	30	92.304/–
2.	डीबीटी रामालिंगास्वामी फैलोशिप प्रोग्राम	2019–20	12	230.64/–
	कुल		42	322.944/–

ग. अचल परिसंपत्तियों की भौतिक जांच प्रक्रिया

आरसीबी में अचल परिसंपत्तियों के लिए जीएफआर–22 फार्म में नियम 211 (ii) (a) के अनुसार रजिस्टर बनाया जा रहा था, यह भी देखा गया कि 31 मार्च 2021 तक वर्ष के लिए अचल परिसंपत्तियों की भौतिक जांच पूरी की जा चुकी थी।

घ. वस्तु सूची की भौतिक जांच प्रक्रिया

31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए उपभोग्य मदों तथा सामग्री की भौतिक जांच की जा चुकी है तथा कोई कमी दृष्टिगोचर नहीं हुई। 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए पुस्तकालय में पुस्तकों की भौतिक जांच की जा चुकी है तथा कोई कमी दृष्टिगोचर नहीं हुई।

ड. सांविधिक बकायों का नियमित भुगतान

31 मार्च, 2021 को आरसीबी पर कोई भी सांविधिक बकाया नहीं था।

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा,
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग
नई दिल्ली-110 002
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT,
ENVIRONMENT & SCIENTIFIC DEPARTMENTS,
A.G.C.R. BUILDING, I.P. ESTATE
NEW DELHI-110 002

सत्यमेव जयते

सं. म.नि.वै.वि./नि./SAR/4(21)/2020-21 | 707-708 दिनांकः 9/11/2021

सेवा में,

डा.सुधांशु व्रती
कार्यपालक निदेशक
क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र
तृतीय मील पत्थर, फरीदाबाद-गुड़गांव एक्सप्रेसवे,
फरीदाबाद-121001

विषयः क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र वर्ष 2020-21 **के लेखों पर प्रथक ऑडिट रिपोर्ट।**

महोदय,

मुझे **क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र** के वर्ष **2020-21** के लेखों पर ऑडिट रिपोर्ट आग्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने से पहले वर्ष **2020-21** के वार्षिक लेखों को **क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र, फरीदाबाद** द्वारा अपनाया जाए। प्रत्येक दस्तावेज जो संसद में प्रस्तुत किया जाए उसकी तीन प्रतियां इस कार्यालय तथा दो प्रतियां भारत के नियंत्रक **एवम** महालेखापरीक्षक को अग्रेषित की जाए। संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने की तिथि (या) भी इस कार्यालय को सूचित की जाए।

आपसे अनुरोध है कि ऑडिट रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद अपने कार्यालय में कराने के पश्चात सॉफ्ट कॉपी तथा हार्ड कापी दोनों में हमें भेज दें ताकि हिन्दी प्रति को शीघ्र अग्रेषित किया जा सके।

यह महानिदेशक द्वारा अनुमोदित है।

भवदीया,

संलग्कः यथोपरि।

निदेशक (निरीक्षण)
8/11

Separate Audit Report of Comptroller and Auditor General of India on the accounts of Regional Centre for Biotechnology, Faridabad for the year ended 31 March 2021

We have audited the attached Balance Sheet of Regional Centre for Biotechnology (RCB), Faridabad at 31 March 2021 and the Income and Expenditure Account/ Receipts and Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with section 32 (1) of RCB Act, 2016. These financial statements are the responsibility of the RCB's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/ Comptroller and Auditor General's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that –

(i) We have obtained all the information and explanations except those stated in the report, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

(ii) The Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Government of India;

(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by RCB, except those stated in this audit report.

(iv) We further report that:

A. BALANCE SHEET

A 1 Assets

A.1.1 Fixed Assets (Schedule 8- Rs. 51.42 crore)

The balances of Office Equipment also included Rs.20.60 lakh towards balances of Air-conditioning system and purchases during current year Rs.5.89 lakh. The Air-conditioning System are required to be booked under Furniture & Fixture head. This has resulted in overcharging of depreciation by Rs. 1.32 lakh under Office Equipment.

A.1.2 Schedule 11 – Current Assets, Loans and Advances (Rs. 3678.95 lakh)

Above included Rs. 0.10 lakh as Cash in Hand/ imprest, which was not shown as Closing Balance Cash in Hand in Receipt and Payment Account.

B Income and Expenditure

B.1.1 Schedule 21 – Other Administrative Expenses etc (Rs. 1639.82 lakh)

Above also included an expenditure of Rs. 18.84 lakh booked as revenue expenditure pertaining to prior period. This has resulted in overstatement of expenditure and understatement of Prior period expenditure to that extent.

B.1.2 Schedule 20 – Establishment Expenses (Rs. 1080.83 lakh)

Above did not include Salary for March 2021 paid in April 2021 amounting to Rs. 73.85 lakh. Similarly, previous year salary for March 2020 paid in April 2020 amounting to Rs.70.44 lakh was booked as expenditure for current year. The transactions have resulted in understatement of revenue expenditure by Rs. 3.41 lakh and prior period expenditure by Rs. 70.44 lakh.

B.1.3 Deferred Income – Fixed Assets

An expenditure of Rs. 680.62 lakh has been charged towards depreciation on fixed assets as per schedule 8- Fixed Assets for 2020-21 however, the expenditure is also shown as Deferred Income- Fixed Assets in Income. The Uniform Format of

Accounts for Autonomous Bodies does not provide such provision in accounts as format adopted the capital approach.

C. General:

(i) There is a difference of Rs.225.54 lakh in previous year balance of Corpus/Capital Fund in Balance Sheet (Rs.6281.96 lakh) and Schedule 1 Corpus/ Capital Fund (Rs.6507.49 lakh) as Balances of Schedule 2 Reserve and Surplus are also shown in Schedule 1.

(ii) Schedule 8: Fixed Assets (Rs.5141.90 lakh)

Columns of schedule 8 Fixed Assets included in accounts are not as per the approved format of Accounts. The names of all the columns adopted are different besides two columns in Depreciation and one in Net Block have not been maintained. Therefore, the schedule 8 may please be maintained as per approved format of accounts.

(iii) The following three heads were misclassified as Administrative Expenses instead of Establishment Expenses. This has led to Understatement of Establishment Expenses and overstatement of Administrative Expenses by Rs.177.90 lakh. :

Schedule 20 – Establishment Expenses:

Fellowships to Students	: Rs. 17.39 lakhs
Wages – Outsourced manpower	: Rs.160.18 lakhs
Travelling Expenses	: Rs. 0.33 lakhs

(iv) No provision for retirement benefits has been made in the accounts in contravention of Accounting Standard 15 issued by ICAI.

D. Grants-in-Aid

RCB received total grant of Rs 33 crore from DBT during 2020-21, besides having carried forward unspent grant of Rs 1.19 crore for the year 2019-20. Rs. 34.18 crore was available for expenditure during the year. RCB utilized Rs 31.78 crore during the year leaving a closing balance of Rs. 2.40 crore on 31st March 2021.

v). Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

vi). In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the

Accounting Policies and Notes on Accounts, subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in **Annexure** to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

a. In so far as it relates to the Balance Sheet of the state of affairs of the Regional Centre for Biotechnology, Faridabad as at 31 March 2021; and

b. In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of CAG of India

Dated: 8/11/2021

Place : New Delhi

Director General of Audit
(Environment and Scientific Departments)

Annexure – I to Audit Report

Internal Audit/Control System

(A) Adequacy of Internal Audit System

Internal Audit of the Regional Centre for Bio-technology (RCB) was required to be conducted annually by the internal audit wing of Principal Pay & Accounts Office of the Department of Science & Technology, New Delhi which was completed upto March 2019. A total number of 4 paras (one pertained to the period 2010-14 and 3 pertained to the period 2017-19) were outstanding till date.

Internal Audit of Regional Centre for Bio-technology (RCB) is pending since March 2019.

(B) Adequacy of Internal Control System

B.1 RCB has sanctioned permanent imprest ranging from Rs. 10000 to Rs. 50000 to eight departmental officers for day to day utilization in official work. It is seen that the utilization of funds from imprest account was very low and government money was unnecessarily kept out of government account.

B.2 The Significant Accounting Policies as per Uniform Format of Account provided that annual accounts should be prepared on accrual system of accountancy. However, the accounts of RCB Faridabad have been maintained on actual/cash basis in respect of extramural funds and other project grants.

B.3 Test check of Form-16 and related documents in respect of RCB staff revealed that center had allowed tax rebate for the year 2020-21 without submitting supporting documents. This shows poor internal control mechanism on part of RCB.

B.4 Main Cashbook was maintained only in electronic form and subsidiary Cash Book was maintained in the physical format (GAR-3).

B.5 The details of outstanding Utilization Certificates are as under:

SL. No.	Programme	Year	Number of outstanding UCs	Amount (Rs. in Lakhs)Approx.
1.	DBT JRF Programme	2019-20	30	92.304/-
2.	DBT Ramalingaswamy Fellowship Programme	2019-20	12	230.64/-
TOTAL			42	322.944/-

C. System of Physical Verification of Fixed Assets

Register of Fixed Assets was being maintained in RCB as per Rule 211(ii)(a) in Form GFR-22, it was further observed that physical verification of Fixed Assets has been conducted for the year upto 31st March,2021.

D. System of Physical verification of inventory

The Physical verification of Consumable items and Materials has been carried out for the period upto 31st March 2021 and no discrepancy was reported. The Physical verification of Library Books has been carried out for the period upto 31st March 2021 and no discrepancy was reported.

E Regularity in payment of statutory dues:

No statutory dues were outstanding against RCB as on 31st March 2021.

Director (Insp.)

महानिदेशक लेखापरीक्षा
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग
ए.जी.सी.आर.भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट,
नई दिल्ली-110002

DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
ENVIRONMENT & SCIENTIFIC DEPARTMENTS
A.G.C.R. BUILDING, I.P. ESTATE
NEW DELHI-110002

Sanjay Kumar Jha
Director General of Audit

D. O. No. DGA(ESD)/Inspection/1(47)/RCB/Annual A/cs/2020-21/207 Dated: 9/11/2021

Dear Dr. Vrati,

I have audited the Annual Accounts of the Regional Centre for Bio-technology, Faridabad for the year 2020-21 and have issued the Audit Report thereon vide letter dated-9/11/21. During the course of audit, some deficiencies were noticed which were of a relatively minor nature and were, therefore, not included in the Audit Report and are now enclosed in the **Annexure**. These are being brought to your notice for remedial and corrective action.

With warm regards.

Yours sincerely,

Encl: Annexure

Dr. Sudhanshu Vrati,
Executive Director,
Regional Centre for Bio-technology,
NCR Biotech Science Cluster,
Faridabad – 121001

Annexure

A. Schedule 21 – Other Administrative Expenses etc (Rs. 1639.82 lakh)

Recovery of Rs. 6.24 lakhs on account of electricity charges from RCB Hostel for 2020-21 was adjusted from the expenditure booked in Schedule 21 – Other Administrative Expenditure electricity charges under the head Electricity charges - RCB amounting to Rs. 231.28 lakh resulting in understatement of expenditure as well as revenue receipts refundable to Government to that extent.

B. Schedule 8: Fixed Assets (Rs.5141.90 lakh)

The Receipt and Payment account has not been maintained as per prescribed format of account as heads in receipts as well as in payment side of account were not matching with heads in schedules of Income & Expenditure Account and Balance Sheets. Due to this the same heads were being shown on both sides of Receipts & Payment Account.

Director General of Audit (ESD)

Annexure to Circular letter No. 173-Rep. (AB)/27-84(I) dated10.01.1999

PROFORMA

(Refereed in Paragraph 4.11 of the Manual of Instruction for Audit of Autonomous Bodies)

Proforma on progress of Audit to be sent to the Office of the Comptroller and Auditor General of India along with the audited accounts and Audit Report

Name of the Autonomous Body: **Regional Centre for Biotechnology, Faridabad**

<table>
<tr><td>1.</td><td>Date of submission of the account to the Audit by the Autonomous Body</td><td>25.06.2021</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Where applicable reasons for returning the accounts for revision indication why the accounts could not be certified with qualification</td><td>-N.A.-</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Date of submission of revised accounts to Audit where revision was considered essential</td><td>-N.A.-</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Dates on which audit was taken up and completed</td><td>23.06.2021 to 13.07.2021</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Date of issue of draft SAR to autonomous Body for replies/ comments</td><td>10.08.2021</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Date of receipt of replies/comments from autonomous body</td><td>24.08.2021</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Date of issue of draft SAR including replies/comments of autonomous body along with an side memoire to CAG's office for approval</td><td>24.09.2021</td></tr>
<tr><td rowspan="2">8.</td><td>(a) Date of CAG's office letter communication approval to SAR</td><td rowspan="2">06.10.2021</td></tr>
<tr><td>(b) Date of receipt of letter and approval at 8(a)</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Date of issue of final Audit Report to Government of India/ State Government/CAG's office English version/Hindi version</td><td></td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Reasons for delay, if any at various stages</td><td></td></tr>
<tr><td>11.</td><td>Dates of presentation of the previous Audit Reports before Parliament/Legislature (Where the Audit Report for previous years have not been placed, years to which these pertain, may also be indicated)</td><td><table><tr><td>Year</td><td>Lok Sabha</td><td>Rajya Sabha</td></tr><tr><td>2019-20</td><td>19.03.21</td><td>09.3.21</td></tr></table></td></tr>
</table>

Director General of Audit

Env. & Scientific Departments